न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 01/2016

दायर दिनांकः— 07.09.2016

फैसल दिनांकः— 15.11.2017

श्री सरकार जरिये तहसीलदार गलियाकोट

प्रार्थी

बनाम

श्री वेलजी पुत्री श्री धूलजी पाटीदार निवासी गडाजसराजपुर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू—राजस्व
(निजीवन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आंवटन)
नियम, 1986 के नियम 18 के तहत

— निर्णय —

यह अपील प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) गलियाकोट की ओर से विरूद्व विपक्षी इस आशय की पेश की है कि भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्थान भू—राजस्व (अकृष्य बंजर भूमि का निजीवन विकास हेतु आंवटन) नियम 1983 के तहत ग्राम गडाजसराजपुर की आ. नं. 3761/2583 में रकबा 3.00 बीघा भूमि विपक्षी को निजीवन विकास हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर आंवटित की गई। विपक्षी द्वारा उक्त निजी वन विकास हेतु आंवटित भूमि पर तीन तरफ पक्का परकोटा बना होकर सागवाडा—गलियाकोट सडक की तरफ 22x15 फीट निर्माण कार्य करने 8 कॉलम खडे किये गये है। मौके पर निर्माण सामग्री पडी हुई है। विपक्षी को निजीवन विकास हेतु भूमि आंवटित हुए 25 वर्श से अधिक अवधि हो चुकी है तथा विवेचित भूमि सागवाडा—गलियाकोट मुख्य सडक पर होकर महत्वपूर्ण है। विपक्षी द्वारा उन्हें निजीवन विकास हेतु आंवटित भूमि पर निर्माण करने की सम्भावना है। साथ ही आंवटी द्वारा भूमि पर किसी प्रकार के वृक्ष नहीं लगाना बताते हुए जिस प्रयोजन के लिये विपक्षी को भूमि आंवटन की गई उसकी पालना न करते हुए भूमि आंवटन शर्तो की पालना का उल्लंघन किया गया है। प्राथी भूमिधारी (तहसीलदार) गलियाकोट द्वारा विपक्षी को निजीवन विकास हेतु 25 वर्ष की लीज अवधि पर आंवटित भूमि आंवटन भार्तों की पालना के उल्लंघन में निरस्त करने का अनुरोध किया है।

प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्व उक्त आशय का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकालतनामा एवं जबाव प्रस्तुत किया गया। जो भामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जबाब अनुरूप उनके द्वारा वन विकास हेतु आंवटित भूमि पर काफी रकम खर्च कर समतल की गई तथा निलगिरी के 50, शीशम के 100, देसी बबूल के 25, रेजुंआ के 20, कंजडी के 20, देशी हर्ब के 25 एवं अन्य

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

मिलाकर कुल 275 वृक्ष स्वयं द्वारा रोपित किये गये है। उक्त वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल, पानी पीला कर बडे किये है। उक्त वृक्षों की सुरक्षा हेतु भूमि की तीनों ओर परकोटा बनाया है। विपक्षी द्वारा उक्त वृक्षों की चौकीदारी करना आवश्यक होने के कारण एक छोटा कमरा बनाने हेतु कॉलम खडे किये गये थे, किन्तु राजस्व अधिकारी द्वारा उक्त निर्माण करने से मना करने पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा लगाये गये वृक्षों की सुरक्षा हेतु निर्माण किया जा रहा था जिसमें नियमों कोई उल्लंघन नहीं किया है। विपक्षी को निजीवन विकास हेतु आंवटित भूमि सागवाडा–गलियाकोट मुख्य मार्ग पर स्थित होकर विकसित क्षैत्र के पास है जिससे भू–माफियों की उक्त भूमि पर दृष्टि पडी हुई है। विवेचित भूमि विकसित क्षैत्र के पास होने से झुठा प्रकरण बना विपक्षी को आंवटित भूमि निरस्त कराने का प्रकरण पेश किया गया है। विपक्षी को निजीवन विकास हेतु आंवटित भूमि को पूर्व में भी इस न्यायालय में निरस्त कराने हेतु प्रकरण पेश किया गया था जो प्रकरण संख्या 89/97 दर्ज है तथा दिनांक 06.05.98 को निर्णित कर भूमिधारी तहसीलदार द्वारा प्रेशित प्रकरण को निरस्त किया गया था। उक्त निर्णित प्रकरण में विपक्षी द्वारा वृक्ष लगाकर निजी वन विकसित करने का प्रयास किया है तथा पूर्ण रूप से निजीवन विकसित करने का अवसर दिया जाना उचित मानते हुए विपक्षी का निजीवन विकास हेतु किये गये भूमि आंवटन को यथावत रखा गया था। उक्त स्थिति में विपक्षी को गिये गये निजी वन विकास हेतु विवेचित भूमि का आंवटन यथावत रखने तथा प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) गलियाकोट का प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया है।

हमारे द्वारा पेरोकार सरकार एवं वकील विपक्षी की बहस समाप्त की गई। पेरोकार सरकार तह द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं वकील विपक्षी ने प्रेषित जबाव के तथ्यों की पुनरावृति की गई। हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजो की गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली ओर उस पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी को राजस्थान भू–राजस्व (अकृष्य बंजर भूमि का निजीवन विकास हेतु आंवटन) नियम 1983 के तहत ग्राम गडाजसराजपुर की आ.नं. 3761/2583 रकबा 3.00 बीघा भूमि निजीवन विकास हेतु 25 वर्षीय लीज पर आंवटित की गई है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में विवेचित भूमि पर कुल 275 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के लगा कर विकसित किये है। भूमि पर खर्चा कर समतल बनाया है तथा इन वृक्षों की सुरक्षा हेतु तीनों ओर पक्का परकोटा बनाया है। आंवटी द्वारा चौकीदारी हेतु पक्का कमरा बनाया जा रहा है जिसका निर्माण रूकवाने से कार्य बन्द किया गया है। साथ ही निजीवन विकास हेतु आंवटित भूमि की शर्तों की पालना करने से पूर्व में भी जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार का प्रकरण निरस्त किया है। उक्त स्थिति में आंवटी की भूमि की लीज अवधि नियमानुसार बढाई जाने के तथ्य प्रकट किये। पेरोकार सरकार द्वारा बताया गया कि विवेचित भूमि पर प्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण किया जाना नियमों के प्रतिकुल है। उन्हें चौकीदारी हेतु उपयुक्त निर्माण किया जाना चाहियें। आंवटित भूमि पर वृक्षों की सुरक्षा हेतु केवल फेन्सींग की जानी चाहिये थी। विवेचित भूमि मुख्य सडक सागवाडा–गलियाकोट मार्ग पर तथा विकसित क्षैत्र के पास स्थित होने से आंवटी जिस प्रयोजन हेतु भूमि आंवटित की गई है उस प्रयोजन

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

उपयोग न कर अवैध निर्माण करने की बदनियति को दर्शाता है। साथ ही राजस्थान भू–राजस्व (निज अकृष्य बंजर भूमि का निजीवन विकास हेतु आंवटन) नियम 1983 को विलोपित (समाप्त) कर दिया जाने से विपक्षी को लीज अवधि बढाने नियमों में कोई प्रावधान नहीं रह पाता है। पेरोकार सरकार द्वारा प्रकट किये गये स्पश्ट है कि जब निजीवन विकास हेतु अकृश्यबंजर भूमि आंवटन नियम 1983 को विलोपित कर दिया गया है तो प्रकरण के अन्य गुणवागुण पर विवेचना करने का कोई औचित्य नहीं है चुंकि उक्त नियम विलोपित हो जाने से आंवटी की भूमि की लीज अवधि बढाने का कोई प्रावधान नहीं रह पाता है। उक्त स्थिति में निजीवन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि आंवटन नियम 1983 को नियम 19 द्वारा निरस्त किये जाने से विपक्षी को निजी वन विकास हेतु आंवटित भूमि को खारीज किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जा कर विपक्षी को निजीवन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि आंवटन नियम 1983 के तहत ग्राम गडाजसराजपुर के आ.नं. 3761/2583 रकबा 3.00 बीघा भूमि 25 वर्षीय लीज पर आंवटित भूमि को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार गलियाकोट को निर्णयनुसार पालना कर उक्त भूमि को पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज करनें के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाये।

21-11-2017

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर